

प्रेषक,

देवाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3

विषय-

लखनऊ: दिनांक 23 जुलाई, 2014
कृषि विभाग की समस्त योजनाओं में लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-कम्प्यूटर-2419 दिनांक 31-10-2013 के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की आनलाइन मानीटरिंग हेतु संचालित योजना "कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग" के अन्तर्गत कृषि विभाग की समस्त योजनाओं में लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था स्थापित की जाती है :-


1. विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किस किसान को कौन सी सुविधा/लाभ देय है, उसका व्यापक प्रचार प्रसार स्थानीय समाचार पत्रों, विभागीय Website, रेडियो, टेलीविजन, गोष्ठियों, किसान मेलों तथा लिखित पत्रों के माध्यम से प्रत्येक किसान तक पहुँचाया जाए। उन्हें यह भी जानकारी दी जाए कि किस लाभ को प्राप्त करने के लिये किन-किन कागजातों की जरूरत होगी और क्या औपचारिकतायें पूरी करनी होंगी तथा लाभ को प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देने अथवा सहमति देने की अन्तिम तारीख क्या होगी।
2. किसी भी किसान अथवा मजदूर को कृषि विभाग की योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिये पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। चाहे वह लाभ कृषि विभाग, यू0पी0एग्री, पी0सी0एफ, बीज विकास निगम या किसी भी अन्य संस्था द्वारा वितरित किया जा रहा हो। विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था दी जाए कि किसान स्वयं अपने घर से, कामन सर्विस सेन्टर से या योजना के अन्तर्गत चयनित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था के प्रतिनिधि, जिसे कृषि विभाग के लाभ वितरण केन्द्र पर कार्यदायी संस्था ने तैनात किया है, के पास जाकर अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था द्वारा दिये गये फोन न0 पर मिस काल करके लाभ पाने के लिये पंजीकरण करा सके अथवा चयनित होने पर अपनी सहमति दे सके।
3. लाभार्थी का चयन, उसके पंजीकरण के क्रम में ही किया जाए तथा 10 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची रखी जाए, किन्तु जिन मदों में लाभार्थी की संख्या बहुत अधिक है और दी जाने वाली वस्तु/अनुदान/सुविधा का लक्ष्य बहुत कम है, ऐसी स्थिति में कमजोर कृषक जो सीमान्त, अनुसूचित जाति तथा महिला हो, उसे वरीयता दी जाए।
4. लाभार्थियों के पंजीकरण तथा चयन के लिये सॉफ्टवेयर का विकास इस प्रकार कराया जाए कि वर्तमान लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को विभाग की रणनीति के अनुसार जितने वर्षों के लिये चाहे कम्प्यूटर सिस्टम, स्वतः लाभ पाने से रोक दे।

- उदाहरण के लिये गेहूँ, धान के बीज हेतु तीन वर्ष का प्रतिबन्ध, दलहन, तिलहन के बीज के लिये दो वर्ष का प्रतिबन्ध, भारी कृषि यंत्रों के लिये दस वर्ष का प्रतिबन्ध जैसा भी विभाग चाहे लगा सके।
5. लाभ के लिये पंजीकृत किसान जिन्हें चालू वर्ष में लाभ नहीं मिल सका उन्हें आगामी वर्षों के लिये पात्रता में रखा जायेगा तथा नये किसानों को भी लाभ के लिये पंजीकरण कराने का अधिकार होगा।
 6. साफ्टवेयर में मुख्य रूप से बीज, कृषि रक्षा रसायन तथा कृषि यंत्र की सूची, वैरायटी, देय अनुदान आदि का विवरण रखा जाए जिसे Drop Down Box के माध्यम से पात्र कृषकों द्वारा चुना जा सके।
 7. किसानों की श्रेणी, पात्रता आदि के निर्धारण के लिये उनसे सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त कर रिकार्ड में रखना आवश्यक होगा।
 8. विभागीय योजनाओं में जिन कृषकों को विगत 3 वर्षों में ₹0 5000/- या उससे अधिक का लाभ दिया गया है उनका डेटा बेस जनपदीय अधिकारियों द्वारा विभागीय सर्वर पर फीड करा दिया जाय ताकि विभागीय नीति के अनुसार उन्हें आगामी वर्षों में लाभ से प्रतिबन्धित किया जा सके।
 9. साफ्टवेयर में यह भी व्यवस्था कराई जाए कि पात्र लाभार्थियों को Mobile SMS के माध्यम से दिये जाने वाले लाभ की जानकारी हो सके।
 10. पात्र लाभार्थियों की सूची निकालकर उन्हें कामन सर्विस सेन्टर, पंचायत भवन तथा राशन की दुकान पर चर्चा करने की जिम्मेदारी भी सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजना के अन्तर्गत चयनित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था को दी जाए।
 11. लाभार्थी की पहचान हेतु साफ्टवेयर में अन्य विवरणों यथा-बैंक पास बुक, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि के साथ Biometric System के माध्यम से लिये गये अँगूठा निशान को अवश्य आधार बनाया जाए।
 12. नगद लाभ देने के लिये RTGS System को ही अपनाया जाए। इसके लिये लाभार्थी के बैंक खाते का विवरण लाभ स्वीकृत करते समय ही प्राप्त कर लिया जाए ताकि उसे यथाशीघ्र RTGS के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरित हो सके।
 13. पारदर्शी ऑनलाइन लाभार्थी चयन प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से 01 सितम्बर, 2014 से लागू कर दिया जाय। इस व्यवस्था का पालन कृषि विभाग की योजनाओं से लाभ वितरण करने वाली सभी संस्थाओं यथा यू0पी0एग्रो, पी0सी0एफ, बीज विकास निगम या कोई भी अन्य संस्था हो, को करना होगा। ऑनलाइन लाभार्थी चयन प्रक्रिया लागू होने के पश्चात पूर्व में स्थापित अन्य कोई चयन प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाएगी।
 14. कृषकों के हित में विभाग समस्त प्रकार के लाभों को देने के लिये विकास खण्ड स्तर पर स्थित बीज भण्डार को Single Window Service Centre के रूप में विकसित करें जिससे अलग अलग लाभों को प्राप्त करने के लिये किसानों को अलग अलग भटकना न पड़े तथा उनके मानीटरिंग भी कम खर्च में एक ही स्थान से सहजता से हो सके।

(3)


15. केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अनुसार लाभार्थियों को लाभ का वितरण किया जायेगा किन्तु उनमें भी लाभार्थियों का पंजीकरण एवं लाभ वितरण आनलाइन ही किया जायेगा।
16. लाभार्थियों के पंजीकरण, दिये गये लाभ आदि का मोबाइल SMS अवश्य भेजा जाय साथ ही लाभ वितरण के पश्चात दी जाने वाली रसीद में सम्बन्धित स्टोर इन्चार्ज/प्रभारी के हस्ताक्षर एवं किसान के अंगूठा निशान के साथ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म जिसके द्वारा रसीद तैयार की गयी है, के हस्ताक्षर भी आवश्यक होंगे।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(देवाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-811(1)/12-3-2014-तददिनांक-

- उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 2- प्रमुख सचिव, गन्ना विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 3- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 4- प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 5- प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 6- प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 7- प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 8- प्रमुख सचिव, दुग्ध विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 9- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
 - 10- महानिदेशक, उपकार, उ०प्र० लखनऊ।
 - 11- प्रबंध निदेशक, यू०पी० एग्रो, उ०प्र० लखनऊ।
 - 12- प्रबंध निदेशक, पी०सी०एफ०, उ०प्र० लखनऊ।
 - 13- प्रबंध निदेशक, बीज विकास निगम, उ०प्र० लखनऊ।
 - 14- निदेशक, बीज प्रमाणीकरण संस्था, उ०प्र० लखनऊ।
 - 15- निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
 - 16- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
 - 17- सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि भवन, लखनऊ।
 - 18- समस्त अपर कृषि निदेशक, कृषि भवन, लखनऊ।
 - 19- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उ०प्र०।
 - 20- समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उ०प्र०।
 - 21- समस्त उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, उ०प्र०।
 - 22- समस्त जिला कृषि अधिकारी, उ०प्र०।
 - 23- समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उ०प्र०।
 - 24- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(देवाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।